न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम.नं. 2022 / 373
मुकदमा नम्बर 77 / 2022 दायर दिनांक–04.07.2022

1. सुगना पुत्र श्योपाल जाति मेघवाल निवासी नया परसरामपुरा,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू
2. रामनिवास पुत्र श्योपाल जाति मेघवाल निवासी नया परसरामपुरा, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू
3. बुलाराम पुत्र श्योपाल जाति मेघवाल निवासी नया परसरामपुरा, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मनफूल सिंह पुत्र रामधन सिंह जाति जाट निवासी खेदडो की ढाणी हाल माडिया टिब्बा के पास , भरवाडी तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
2. रतनलाल पुत्र भोला जाति कुमावत निवासी नया परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू हाल जयपुर
3. रामचन्द्र पुत्र गिरधारीलाल मुण्ड जाति जाट निवासी डालाना के पास खोजावास तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
4. अनिता पुत्री पन्ने सिंह
5. नरेन्द्र कुमार पुत्र पन्ने सिंह
6. मंजू पुत्री पन्ने सिंह
7. सुमन पुत्री पन्ने सिंह
8. दुर्गा देवी पत्नी पन्ने सिंह
9. बजरंगलाल पुत्र गोपाल सिह समस्त जाति जाट निवासीगण टोंक छिलरी तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
10. शाखा प्रबन्धक ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नवलगढ
11. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा बसावा
12. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा बसावा
13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू

–अप्रार्थीगण

वकील आवेदक : – श्री नेमीचन्द डूडी
अनावेदक सं. 1 – (इकबालिया जवाब) श्री सुरेन्द्र भर्रा
अनावेदक सं. 13 – पैरो. राज.
अनावेदक सं. 2 लगा.12– एक पक्षीय

<u>प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

:: आदेश ::   दिनांक – 16-12-2024

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम भरवाडी पटवार हल्का टोंकछिलरी मे खाता सं. 200 पुराना 175 के खसरा नं. 6 तथा खसरा नं. 7 जो आवेदक कि खातेदारी काश्तकारी की भूमि है में आने जाने के लिये 820 फीट लम्बा व 15 फीट चौडा रास्ता अनावेदकगण के खेत में से संलग्न नजरी नक्शे में दिखाये अनुसार बिन्दू ए से बी, तक खसरा नं. 10,448/10,449/10,450/10,451/10 के दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे दिलाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण कि जारी की गई। अनावेदक सं. 2 लगा. 12 की बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अना. सं. 13 की और से पैरो. राज. उपस्थित। अनावेकद सं. 1 की और से वकील श्री सुरेन्द्र भर्रा उपस्थित हो इकबालिया जवाब पेश किया गया। प्रकरण में तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/579 दिनांक 27.09.2022 पेश हुई। जिसके अनुसार खातेदार को अपनी जोत तक पहुँचने के अन्य वैकल्पिक रास्ते का अभाव है,अन्य कोई लघुतम रास्ता नही है। प्रतिवादी रामचन्द ने प्रकरण दर्ज होने के पश्चात् एक ताबूक की दीवार सीमा के बहार बनी है। ख.नं. 451/10 में रास्ते की लम्बाई 184 मीटर x चौडाई 4 मीटर = 736 वर्ग मीटर, ख.नं. 450/10 मे लम्बाई 16 मीटर x चौडाई 4 मीटर = 64 वर्ग मीटर, ख.नं. 449/10 में लम्बाई 8 मीटर x चौडाई 4 मीटर = 32 वर्ग मीटर , ख.नं. 448/10 में लम्बाई 6 मीटर x चौडाई 4 मीटर = 24 वर्ग मीटर, ख.नं. 10 में रास्ते की लम्बाई 34 मीटर x चौडाई 4 मीटर = 136 वर्ग मीटर बनता है।

बहस एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील आवेदक द्वारा ख.नं. 451/10 को रास्ते मे जाने वाली भूमि के बदले अपनी खातेदारी भूमि से जमीन दिये जाने (समायोजित किये जाने) हेतु सहमति दी गई।

प्रकरण में तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक को अपनी कृषि जोत तक आने व जाने के लिये मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/579 दिनांक 27.09.2022 अनुसार गै.मु. सिवायचक रास्ता कायम किये जाने का आदेश देता है। ख.नं. 451/10 में रास्ते की लम्बाई 184 मीटर x चौडाई 4 मीटर = 736 वर्ग मीटर गै.मु. सिवायचक रास्ता दर्ज कर दिया जावे और उसके बदले में ख.नं. 451/10 के खातेदार काश्तकारों को आवेदक अपनी खातेदारी की भूमि ख.नं. 07 में से उतनी 736 वर्ग मीटर भूमि समायोजित कर राजस्व रिकार्ड ख.नं. 451/10 शामिल कर,दर्ज कर दिया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुंझुनूं)

शेष ख.नं. 450/10 मे लम्बाई 16 मीटर x चौडाई 4 मीटर = 64 वर्ग मीटर, ख.नं. 449/10 में लम्बाई 8 मीटर x चौडाई 4 मीटर = 32 वर्ग मीटर , ख.नं. 448/10 में लम्बाई 6 मीटर x चौडाई 4 मीटर = 24 वर्ग मीटर, ख.नं. 10 में रास्ते की लम्बाई 34 मीटर x चौडाई 4 मीटर = 136 वर्ग मीटर गै.मु. सिवायचक रास्ता दर्ज कर दिया जावे और उसके बदले में आवेदक रास्ते से प्रभावित होने वाले खसरा नं. यथा ख.नं. 450/10, ख.नं. 449/10, ख.नं. 448/10, ख.नं. 10 के खातेदार काश्तकारों को डीएलसी दर की दोगुनी राशि दी जावे। तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/579 दिनांक 27.09.2022 उक्त आदेश का भाग होगी।

तहसीलदार नवलगढ, मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड मे आवश्यक दुरूस्ती,समायोजन व अमलदरामद कर मौके पर पालना सुनिश्चित करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक ......16-12-2024.........को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़